मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)

59 "सी" विंग, द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्रमांक/6366 /NR-4/4/11 भोपाल,दिनांक 16/06/11

प्रति,

कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
जिला–समस्त (म.प्र.)

विषयः– मनरेगा अंतर्गत अकुशल श्रम के भुगतान में हो रहे विलंब को कम करने के संबंध में।

:::00:::

मनरेगा अंतर्गत अकुशल श्रम के भुगतान में हो रहे विलंब को कम करने के संबंध में निश्चय ही जिला स्तरीय समन्वय समिति में प्रतिमाह आप जिले की विभिन्न बैंकों की समीक्षा कर रहे होगें। जैसा कि अवगत हैं हितग्राहियों के खाते बैंको के साथ ही पोस्ट ऑफिस में खोले जाकर भी उनको भुगतान किया जा रहा है। अतः जिला स्तरीय समन्वय समिति में डाक विभाग के अधिकारियों को भी आहूत कर स्कीम से संबंधी अकुशल श्रम के भुगतान के प्रकरणों में हो रहे विलंब की समीक्षा की जाए।

डाक विभाग से निरंतर ही यह पत्र प्राप्त हुये है कि उनके द्वारा भेजे गये चेकों को "क्लियरियेन्स" करने मे अत्यधिक समय लग रहा है एवं किन्ही जिलों में एक वर्ष की समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी डाक विभाग के चेक बैंक द्वारा "क्लियर" नहीं हो पा रहे है। यह स्थिति उचित नहीं है। अतः निम्न कार्यवाही सुनिश्चित करें।

1. प्रतिमाह संबंधित डाकघर के प्रवर अधीक्षक/अधीक्षक एवं बैंक के क्लियरिंग हाऊस के जिला प्रमुख एवं संबंधित बैंको के अधिकारियों की बैठक आपकी या आपके प्रतिनिधि की अध्यक्षता में अनिवार्य रूप से आयोजित की जावें। ताकि क्लियरेन्स मे हो रहे विलम्ब की स्थिति एवं अन्य तत्संबंधी बिन्दुओं का निराकरण हो सके।

2. 'एमआईसीआर" पृष्ठांकन की चेक्स बुक ही बैंको से ग्राम पंचायतों को जारी करवाई जाये ताकि इनके समाशोधन में किसी भी प्रकार का विलम्ब न हो।

3. ग्राम पंचायत के सरपंच /सचिव के बदल जाने की स्थिति में उनके सत्यापित हस्ताक्षर आपके द्वारा संबंधित बैंकों को भेजे जाये। ताकि हस्ताक्षरों में मिलान न होने की स्थिति निर्मित न हो एवं चेक्स का समाशोधन तत्काल हो।

4. मनरेगा अकुशल श्रम के भुगतान से संबंधित जारी किये जाने वाले चेक्स से किसी भी प्रकार का प्रभार बैंको द्वारा नहीं काटा जाना है। इस हेतु चेक्स पर "एमजीएनआरईजीएस" की सील लगवायें ताकि ऐसे चेक्स पृथक से ही चिन्हांकित हो जाये।

निरं.....

इसी के साथ यह भी लेख है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जिन जिलों में हितग्राहियों के खाते पोस्ट ऑफिसों में हैं, वहां एमओयू की शर्तो के अनुसार अग्रिम राशि जिले द्वारा डाकखाने में जमा कराई जाए। इस संबंध में यह भी ध्यान रखा जाए कि ग्राम पंचायतें चैक जारी करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि उनके खाते में पर्याप्त धनराशि है एवं संबंधित चैक जारी करने वाले सचिव/सरपंच के हस्ताक्षर यथोचित हैं एवं नियमानुसार बैंक को सूचित हैं। इस परिप्रेक्ष्य में एमओयू के अनुसंलग्नक 2 के पैरा 3.1 अनुसार संबंधित डाक विभाग के नोडल अधिकारी को तीन दिवस पूर्व वितरित होने वाली राशि की जानकारी दी जाये ताकि डाक विभाग उनके स्तर पर पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था कर सके एवं मजदूरी भुगतान में विलंब न हो।

15/6/11

(शिव शेखर शुक्ला)
आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
मुख्यालय

पृ.क्रमांक/6367/NR-4/4/11 भोपाल,दिनांक 16/06/11

प्रतिलिपिः–

1. निदेशक डाक सेवायें कार्यालय पोस्ट मास्टर जनरल परिमण्डल भोपाल की ओर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 6289/एनआर–4/11 भोपाल 14.06.2011 के तारतम्य में दिनांक 15.06.2011 को परिषद् मुख्यालय भोपाल में हुई बैठक में आपके विभाग के वरिष्ठ लेखाधिकारी से हुई चर्चा के तारतम्य में सूचनार्थ।

2. क्षेत्रीय उप महाप्रंबधक स्टेट बैंक आफ इण्डिया भोपाल की ओर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 6289/एनआर–4/11 भोपाल 14.06.2011 के तारतम्य में दिनांक 15.06.2011 को परिषद् मुख्यालय भोपाल में हुई बैठक में आपकी बैंक के मुख्य प्रबंधक से हुई चर्चा के तारतम्य में सूचनार्थ।

आयुक्त 15/6/11
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
मुख्यालय